संख्या:12/2019/40/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:08 जनवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र-बरेली कैण्ट, मीरगंज, भोजीपुरा एवं नवाबगंज से संबंधित कार्यो हेतु रू. 1987.436 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 1987.436 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ सत्तासी लाख तैंतालीस हजार छः सौ मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	बरेली कैन्ट	बदायूं रोड पर पटेल बिहार कालोनी में मुख्य एवं सम्बन्धित गलियों में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	0.600	74.69	74.69
2	बरेली कैन्ट	ग्रीन पार्क मेन रोड से मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य	1.350	23.77	23.77
3	बरेली कैन्ट	सतीपुर मेन रोड से पनबड़िया तक सी0सी0 कार्य	0.285	32.25	32.25
4	बरेली कैन्ट	डा0 संत कुमार की दुकान से सनैया मस्जिद तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	0.330	77.22	77.22
5	बरेली कैन्ट	गुलाबवाड़ी शमशान भूमि नशेमन कॉलोनी में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	0.125	16.41	16.41
6	बरेली कैन्ट	कुसुमनगर ट्रांसफार्मर में करसटल कॉलोनी होते हुये हरूनगला मोड़ तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	0.200	22.31	22.31
7	बरेली कैन्ट	पीलीभीत मेन रोड से गत्ता फैक्ट्री होते हुये एवं सम्बन्धित गलियों में नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य	0.506	84.28	84.28
8	बरेली कैन्ट	कृष्ण टिम्बर मेन रोड से आला हजरत अस्पताल तक एवं सम्बन्धित गलियों में नाली व सी0सी0 सडक निर्माण	0.450	70.68	70.68
9	बरेली कैन्ट	राजीव कालौनी में रामपाल कश्यप के मकान से तिलक कालोनी में ब्रहमदेव मंदिर तक नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य	0.290	20.61	20.61

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
10	बरेली कैन्ट	राजीव कालौनी में सुमित पाण्डेय (खुशीराम) के मकान से अनुपम नगर में पंडित जी के मकान तक नाली व सी0सी0 सडक निर्माण	0.120	8.22	8.22
11	बरेली कैन्ट	श्याम कॉलोनी मेंसुमित पाण्डेय के मकान से अशोक मिस्त्री के मकान तक नाली व सी0सी0 सडक निर्माण	0.220	22.57	22.57
12	बरेली कैन्ट	श्याम कॉलोनीमेंठाकुर शिशुपाल सिंह के मकान से मुन्ना वाल्मीकि के मकान तक नाली व सी0सी0 सडक निर्माण	0.215	23.46	23.46
13	बरेली कैन्ट	पुरानी चांदमारी में राम किशोर द्विवेदी के मकान से होली चौक होते हुए सुरेश चन्द्र के मकान से प्रदीप राठोर के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	0.165	17.04	17.04
		योग वि. स. क्षेत्र बरेली कैन्ट	**4.856**	**493.51**	**493.51**
14	मीरगंज	असदनगर से सिरौधी अंगदपुर मार्ग निर्माण कार्य	0.910	39.700	39.700
15	मीरगंज	धनेटा शीशगढ़ मार्ग से बाया बीथम, बहादुरपुर होते हुए दिनरा मिर्जापुर तक मार्ग निर्माण	2.490	63.260	63.260
16	मीरगंज	बलई से वंशीपुर तक सड़क निर्माण कार्य	1.035	55.360	55.360
17	मीरगंज	लभेडा दुर्गा प्रसाद से खमरिया आजमपुर तक सड़क निर्माण कार्य	0.880	25.130	25.130
18	मीरगंज	ग्राम सिंघौली की गौंटिया से नरखेरा की नदी तक सड़क निर्माण कार्य	1.600	34.440	34.440
19	मीरगंज	गौंटिया आजमपुर व सलामतगंज के बीच नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य	-	13.360	13.360
20	मीरगंज	ग्राम मदनापुर बिलायतगंज के बीच नाले पर पुलिया(काजवे) का निर्माण कार्य	-	63.720	63.720
21	मीरगंज	त्रिलोकचंद डिग्री कालेज के सामने चिटऔली तक डामर कार्य	0.950	54.080	54.080
22	मीरगंज	प्रेमपुर नहर पुलिया से दाडा की पुलिया तक लेपन कार्य	1.540	80.442	80.442
23	मीरगंज	बढैपुरा से नहर तक सड़क व नाले की पुलिया	0.720	17.900	17.900
24	मीरगंज	कैथोला बेनीराम से पंडरी खालसा तक सड़क निर्माण कार्य	1.085	47.786	47.786
		योग वि.स. क्षेत्र मीरगंज	**11.21**	**495.178**	**495.178**
25	भोजीपुरा	ग्राम भीकमपुर भदरक मार्ग से न्यामतपुर तक लेपन कार्य	0.800	42.148	42.148
26	भोजीपुरा	शेरगढ़ से मोहुउदीन संपर्क मार्ग के शेष भाग पर लेपन कार्य	2.150	121.920	121.920
27	भोजीपुरा	ग्राम शरीफनगर से हटागंज संपर्क मार्ग पर लेपन कार्य	1.550	103.11	103.110
28	भोजीपुरा	वि0ख0 भोजीपुरा में ग्राम वोहित से राष्ट्रीय राजमार्ग तक लेपन कार्य	1.230	43.720	43.720
29	भोजीपुरा	ग्राम लखमपुर से करमपुर ठाकुरान तक नहर पटरी पर लेपन कार्य	0.710	24.840	24.840
30	भोजीपुरा	ग्राम खजुआ जागीर में पुल से प्रा. पाठशाला तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	0.455	51.170	51.170

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
31	भोजीपुरा	ग्राम जनक जागीर-ग्राम खतौला हुलास कुवर के मध्य नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य	-	64.310	64.310
32	भोजीपुरा	ग्राम गोटिया फरीदपुर रामचरन सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	1.050	47.650	47.650
		योग वि.स. क्षेत्र, भोजीपुरा	**7.945**	**498.868**	**498.868**
33	नवाबगंज	ग्राम भदपुरा के पश्चिम में नाले पर पुलिया काजवे का निर्माण कार्य	-	51.02	51.02
34	नवाबगंज	ग्राम विक्रमपुर के पास नाले पर पुलिया काजवे का निर्माण कार्य	-	54.63	54.63
35	नवाबगंज	ग्राम नकटिया एवं कुवरपुर करीमजान के बीच नाले पर पुलिया काजवे का निर्माण कार्य	-	51.80	51.80
36	नवाबगंज	ग्राम नौगवां भगवन्तपुर से जरपा मोहनपुर मार्ग के बीच पुलिया का निर्माण कार्य	-	42.42	42.42
37	नवाबगंज	ग्राम किशनपुर एवं मलूकपुर के बीच नाले पर पुलिया काजवे निर्माण कार्य	-	53.46	53.46
38	नवाबगंज	वि0ख0 नवाबगंज के ग्राम फैजुल्लापुर में सत्यवीर की बैठक से हरिपाल के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	0.200	18.57	18.57
39	नवाबगंज	वि0ख0 नवाबगंज के ग्राम शाहपुर जीसुखराय में रमेश पंडित जी के पास सरकारी नल से लेकर टावर के ट्रांसफार्मर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	0.200	16.69	16.69
40	नवाबगंज	वि0ख0 नवाबगंज के ग्राम अधकटा नजराना में मिढई लाल के सेलर से रमेश के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	0.260	21.76	21.76
41	नवाबगंज	वि0ख0 नवाबगंज के ग्राम ज्योरा मकरन्दपुर में संतराम के मकान से मुकेश प्रधान के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	0.360	32.20	32.20
42	नवाबगंज	वि0ख0 भदपुरा के ग्राम भौआ बाजार में नरेश चन्द्र के मकान से बाजार तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	0.160	18.53	18.53
43	नवाबगंज	वि0ख0 नवाबगंज के ग्राम मुडिया विशन सहाय में नकटिया नाला पर पुलिया निर्माण कार्य -काजवे	-	66.37	66.37
44	नवाबगंज	वि0ख0 नवाबगंज के ग्राम हाफिजगंज में शमशान भूमि तक सड़क निर्माण कार्य	0.200	22.18	22.18
45	नवाबगंज	वि0ख0 नवाबगंज के ग्राम सतुईया खुर्द में मेन रोड मंदिर से लक्ष्मण प्रसाद की बैठक तक सड़क निर्माण कार्य	0.180	17.36	17.36
46	नवाबगंज	वि0ख0 नवाबगंज के ग्राम मो0 प्रभातनगर वार्ड 6 में राधे श्याम मास्टर के मकान से अनुज गंगवार के मकान तक सी.सी.सड़क निर्माण कार्य	0.100	9.04	9.04
47	नवाबगंज	वि.ख. नवाबगंज के ग्राम गेलाटाण्डा में किसानों वाले तालाब से भवानी प्रसाद के मकान तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	0.310	23.85	23.85
		योग वि.स. क्षेत्र नवाबगंज	**1.97**	**499.88**	**499.88**
		योग जनपद बरेली	**25.981**	**1987.436**	**1987.436**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-14 से 47 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-0305-विधान सभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा क्रमांक-1 से 13 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

संख्या:12/2019/40(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, बरेली।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बरेली।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,बरेली।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in